'निलोफर' उपन्यास में चित्रित विमुक्त और घुमन्तू जनजातिय परिवार

डॉ. कल्पना पाटोळे
गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय, कोल्हापुर
Email - kalpanapatole707@gmail.com
Mob No. - 9527678500

सारांश-

घुमन्तू जनजातिय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार न होकर सामाजिक समझौता है। करनट, कंजर आदि जनजातियों में नारी को अधिक महत्ता प्रधान की गई है। कुछ जनजातियों में युवक-युवतियों को अपेक्षा से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यद्यपि उन पर वृध्द सदस्यों का प्रत्यक्ष अधिकार रहता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति में मोरूंग नामक कुमार-गृह की स्थापना की जाती है, जहाँ पर युवक-युवतियाँ मुक्त रूप से अमोद-प्रमोद तथा प्रेमभाव प्रकट करती हैं। इसी प्रकार जनजातिय समाज में विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी यौन के क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है। थारू जाति में यौन स्वच्छंदता दिखाई देती है। उनमें स्त्रियों का स्थान उच्च होने के कारण पुरुष स्त्रियों के अधीन होते है।

बीज शब्द- विवाह, समाज, जाति, परिवार

प्रस्तावना

विमुक्त और घुमन्तू जनजातिय परिवार भारत की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अपनी संस्कृति का विशेष ध्यान रखनेवाले ये परिवार बहुत कुछ आत्मनिर्भर होते है। इनमें आयु तथा लिंग के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है। "जनजातिय परिवार व्यक्तिवाद की भावना से बहुत दूर और सामूहिकता के सच्चे प्रतीक है। इनका प्रमुख कार्य धार्मिक विश्वासों के आधार पर सदस्यों को संगठित रखना, बच्चों को अपनी संस्कृति की शिक्षा देना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना है।"[1] इस प्रकार आधुनिक युग में सभ्य समाजों के संपर्क में आने के बाद भी ज्यादातर जनजातियों अपने मौलिक जीवन का ही प्रतिनिधित्व करते है। जनजातिय परिवार एक विशेष भौगोलिक पर्यावरण, भिन्न सांस्कृतिक मूल्यों तथा यौन संबंधों में अधिक स्वतंत्रता होने के कारण सभ्य समाजों की अपेक्षा इनके परिवार का रूप नितांत भिन्न होता है। भारतीय जनजातियों में गोंड, खासी, करूट, कंज़र, नागा, थारू, संथाल, भील, खस, बनजारे, जौनसार आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं। जो स्थान तथा पर्यावरण के अनुसार परिवार में विश्वास करती है। वे संयुक्त परिवार को भाई-बंध कहते हैं। खासी जनजाति में मातृसत्ताक परिवार होते हैं और परिवार की उत्तराधिकारिणी स्त्री होती है।

विमुक्त घुमंन्तु समुदाय हमेशा आर्थिक अभाव से जूझते हुए दिखाई देते हैं| आर्थिक विफलता के कारण दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं तथा सुविधाओं का नितांत अभाव इन परिवारों में रहता है | परिवार के सभी सदस्य जीविकोपार्जन के लिए श्रम करते हैं | जी तोड़ मेहनत करने पर भी इनको भोजन, वस्त्र तथा निवास की समस्याओं का सामना करना पड़ता है | अत्यंत दलित एवं दिनता के कारण इनका जीवन मात्र विडंबना बन जाता है | यही कारण है कि पूँजीपति, शासन तथा अन्य वर्ग के लोग विमुक्त घुमंन्तु लोगों का शोषण करते हैं | परिणामस्वरुप इनके हाथों सामाजिक अपराध भी हो जाते है | "ये परिवार अर्थाभाव के कारण सामाजिक अपराधों में अवलिप्त दिखाई देते हैं | इनमें यौन उच्छृखलता तथा स्वच्छंदता के भी कुलक्षण दिखाई देते हैं|"[2]

हिंदी साहित्य की बहुचर्चित उपन्यासकार कृष्णा अग्निहोत्री के 'निलोफर' उपन्यास में विमुक्त और घुमन्तू जनजातिय परिवारों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तुत उपन्यास की बैगा जनजाति में परिवारों का अस्थायी रूप दिखाई देता है। यह जनजाति परंपरागत रूप से अस्थायी कृषि करती है। उनके पास न हल है न बैल है, न सिंचाई के साधन वे कुल्हाड़ी से जंगल काटते हैं। और कुदाल से उस स्थान को खोदकर खेत बनाते हैं। इस स्थान पर वे मात्र एक साल कृषि करते हैं और अगले साल नया स्थान खोज लेते हैं। उनके पास न स्थायी भूमि है, न जमीन पर अधिकार आदिवासी मंगलू की बातों से यह स्पष्ट होता है. "हमारा जहाँ मन चाहता है हम धान, मक्का बोते हैं वर्ना तो भूखों मरें।"[3] अतः पिछड़ापन, अभाव और भूमिहीन होने के कारण इस जनजाति के परिवारों को स्थायी आवास प्राप्त नहीं होता है।

प्रस्तुत उपन्यास में चित्रित जनजातिय परिवारों में अर्थाभाव के कारण उत्पन्न अनेक समस्याएँ पायी जाती है। जिसके कारण परिवार विघटित हो रहे है। जुग्गी की आर्थिक स्थिती कमजोर है। उसे पहनने को कपड़े नहीं मिलते और खाने को पेटभर रोटी नहीं मिलती। वह पानी पिकर ही गुजारा करती है। जुग्गी झूकी और दो घूट पानी ढलाव से पीया और बोली, हमारा जल भगवान ही

बहुत अच्छा है। इसे पीकर ही एक-दो दिन भूखे जिया तो जा सकता है।"[4] आर्थिक अभाव से ग्रस्त जुग्गी पति के होते हुए भी अपने आप को बेच देती है। वह कहती है, "रूपया! मैंने तो कब से एक टकसाली रूपया देखा भी नहीं।"[5] अर्थाभाव से विवश होकर उसे अपना शरीर बेचना पड़ता है. अन्यथा उसे अपने पति से बहुत लगाव है, प्रेम है। अर्थाभाव के कारण ही वह अपने पति के चैती के साथ संबंध को भी स्वीकारती है क्योंकि चैती उसके लिए हिरन का सिका गोश्त भेजती है। वह अपने पति झींगुर से कहती है, "ठिक है, चैती अच्छी है तू कभी-कभी वहाँ चला जाया कर।"[6] आर्थिक अभाव के कारण झाँझर का पिता उसे बेचना चाहता है। झाँझर का कथन यहाँ दृष्टव्य है, "मेरा बास (बाप) सचमुच मुझे किसी दिन उस पंडित के हाथ बेच देगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी|"[7] अतः अर्थ प्राप्ति के लिए झाँझर का बाप अपनी बेटी को बेचना चाहता है। उसी प्रकार झलकिया का ससुर भी अर्थाभाव के कारण उसे बेच देता है। वह अपनी व्यथा स्पष्ट करती हुई कहती है, "मैं क्या करूँ? मेरे ससूर ने एक बोरी ज्वार और तीन सौ रूपये लेकर मुझे फिर उसके साथ भेज दिया।"[8] अतः इसी कारण झलकिया को बेटे से भी वंचित होना पड़ता है।

विवाह मनुष्य में पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं आत्मत्याग जैसी भावनाओं का विकास करता है। घुमन्तू जनजातिय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार न होकर सामाजिक समझौता है। करनट, कंजर आदि जनजातियों में नारी को अधिक महत्ता प्रधान की गई है। कुछ जनजातियों में युवक-युवतियों को अपेक्षा से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यद्यपि उन पर वृध्द सदस्यों का प्रत्यक्ष अधिकार रहता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति में मोरूंग नामक कुमार-गृह की स्थापना की जाती है, जहाँ पर युवक-युवतियाँ मुक्त रूप से अमोद-प्रमोद तथा प्रेमभाव प्रकट करती हैं। इसी प्रकार जनजातिय समाज में विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी यौन के क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है। थारू जाति में यौन स्वच्छंदता दिखाई देती है। उनमें स्त्रियों का स्थान उच्च होने के कारण पुरुष स्त्रियों के अधीन होते है। संथाल जाती में विवाह के पूर्व भी लैंगिक संबंध स्थापित हो सकता है। इस जाति में बहुपतित्व तथा बहुपत्नीत्व निषेध है। भीलों में विवाह के पूर्व एक बार परीक्षण विवाह भी होता है। भीलों में कुछ कृषक होते हैं तो कुछ यायावर होते हैं।

गोंड जनजाति में भी विवाह पूर्व कामक्रिया होती है। वे सामान्यतः सेवा, अपहरण, धन व्यय करके विवाह संपन्न करते हैं। इनमें विधवा विवाह वैध है। खस जनजाति में भी स्त्रियों को मातृ-कुल में मुक्त भोग का अधिकार रहता है। इस जाति में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित है। बड़े भाई की पत्नी सभी भाईयों की सम्मिलित पत्नी होती है। वे अतिथी को पत्नी द्वारा शय्या सेवा प्रदान करती है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करनेवाले को प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। "अतः ये परिवार अपनी परम्पराओं से आबध्द होने के कारण सामान्य परिवारों से भिन्न है। इनके पिछड़े रहने का प्रमुख कारण यह रहा है कि ये आरंभ से ऐसी अज्ञात भूमियों तथा अंचलों में रहते आ रहे है, जहाँ यांत्रिक सभ्यता तथा आधुनिक जीवन-प्रणाली की वैज्ञानिक हलचल समय पर नहीं पहुँच पाई।"[9]

कुछ जनजातियों में दहेज वर पक्ष को नहीं बल्कि वधू पक्ष को देने की प्रथा है। 'निलोफर' में बरेला जनजातिमें यही प्रथा दिखाई देती है। लड़की के पिता को दहेज दिए बिना उनमें शादी संपन्न नहीं होती। आदिवासी युवक मधुआ झलकिया से प्रेम करता है। वह उससे शादी करना चाहता है. लेकिन झलकिया के पिता दहेज के रूप में दो सौ रूपए की माँग करते हैं। गरीब मधुआ के पास इतने पैसे नहीं होते, वह परेशान होता है। मास्टर अशोक से रुपये मिलते ही वह अपनी शादी तय करता है। प्रसन्न चित्त से वह अशोक से कहता है | "मेरी भाभी की ऊगी (सगी) बहन को भगाकर ले जाऊँगा। उसके लिए लुगरा और लहंगा लेना है। बड़े दिनों से माँग रहा था, परन्तु ससुर पूरे दो सौ रूपये पर अडा ही रहा। जब रूपये टनाटन गिनाये, तब लड़की को भगाने की बात तय हुई।"[10] लड़की का पिता लड़केवालों से अधिक दहेज पाने की लालसा करता है। दहेज की इस पध्दति में भी नारी ही शोषित पाई जाती है। उसे एक चीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अर्थाभाव से त्रस्त झझर के पिता संतो अपनी लड़की की इच्छा एवं पसंद नहीं बल्कि उसके माध्यम से अधिक रूपये प्राप्त करना चाहता है। झाँझर डॉ गोविंद से कहती है, "घर पर जरा सा मोटा आटा पिसो तो गाली मिलती है। वो तो बाप को लगता है कि मेरे बहुत दाम लगेंगे, इसलिए वे दोनों मुझे जिंदा रखे हैं।"[11] यहाँ पर वधु-मूल्य की प्रथा के कारण अपने माता पिता के घर में नारी का शोषण दिखाई देता है। प्रस्तुत उपन्यास की बरेला जनजाति में परिवार का अलग ही रूप सामने आता है। यहाँ विवाह के उपरान्त पिता बेटे एवं बहू को अलग रखते हैं। इसके पीछे अर्थाभाव या कलह जैसा कोई कारण नहीं होता बल्कि पति-पत्नी को रोजी-रोटी के लिए सक्षम बनाने की भावना होती है। मधुआ के पिता उसके विवाह के बाद अलग झोपड़ी बनाते हैं। इससे मास्टर अशोक की कुछ समझ में नहीं आता और वह मधुआ के पिता से इसका अर्थ पूछता है। इस पर मधुआ का पिता अशोक से कहता है, "तो क्या? हमसब बेटी को अलग ही रखते हैं। देखिए, डंगरी फैल जाएगी। रूपया

कमाएगा तो टाटला लगा देगा।"[12] यहाँ विवाह के बाद पुत्र रोजी-रोटी के लिए सक्षम बने इसलिए पिता उसे अलग रखता है। लेकिन उस पर पिता का नियंत्रण भी रहता है। इस तरह विमुक्त और घुमन्तू जन समुदाय में परिवार विघटन का एक अलग प्रकार यहाँ पर स्पष्ट होता है।

आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास एवं अधश्रध्दाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। परन्तु जनजातिय परिवारों में अज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टी के अभाव के कारण भूत-प्रेत संबंधी अनेक मान्यताओं का प्रचलन है। नीलोफर' उपन्यास में बैगा और बरेला आदिवासियों में अंधविश्वास के कारण भूतप्रेत पर विश्वास किया जाता है। पकरू की पत्नी बीमार पड़ती है, "भूत लग गया बाबा, कुछ कर गुनियाँ को ढूंढ़।"[13] घरवाले भूत की बाधा की आशंका को झाडने हेतु गुनिया को बुलाते है। संता सरदार की बेटी झाँझर को सॉप काटता है तो अनपढ़ बारेला आदिवासी झाड़-फूंक द्वारा उसका जहर उतारते हैं। समय पर डॉक्टर गोविंद के पहुँचने से उसकी जान बचती है। इस प्रकार आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ जनजातिय परिवारों पर अघविश्वास तथा अंधश्रध्दाओं का प्रभाव दिखाई देता है, जो परिवार में तनाव का कारण बन जाता है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवेचन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि राष्ट्र और समाज की दृष्टि से विमुक्त और घुमन्तू जन समुदाय भारत की एक महत्त्वपूर्ण ईकाई है। यह समुदाय श्रमजीवी होते हैं। उनकी पारिवारिक इकाई में कोई किसी पर भारतुल्य नहीं होता| परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं| रोटी के सामने कौलिन्य नगन्य माना जाता है। जनजातिय परिवार अभावग्रस्त, शोषित एवं साधारण सुविधाओं से भी वंचित होते है| परन्तु विपन्नता एवं विवशता की दशा में भी इन परिवारों में उदारता मानवीयता और अपनापन अधिक मिलता है। निष्कर्षतः उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है की वर्तमान युग में औद्योगीकरण, नगरीकरण, स्त्री शिक्षा, धन-प्रचुरता और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के कारण भारतीय पारिवारिक भावना की व्यापकता संकुचित होती जा रही है। परंतु स्वतंत्र भारत में सभ्य समाज की मुख्यधारा से कोसों दूर अँचल में रहनेवाले तथा अनेक समस्याओं का सामना करनेवाले विमुक्त और घुमन्तू जनजातिय परिवार 'वसुधैव कुटुंबकम' की उदात्त भावना को सही अर्थों में आज भी चरितार्थ कर रहे है।

संदर्भ ग्रंथ :

1 डॉ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ पृ. 450
2. डॉ. त्रिभुवन सिंह, हिंदी उपन्यास और
3. महेंद्र कुमार जैन, हिंदी उपन्यासों में पारिवारिक चित्रण पृ. 24
4. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 72
5. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 59
6. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 59
7. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 64
8. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 143
9. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 143
10. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 124
11. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 143
12. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 125
13. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर, पृ. 60